प्रेस प्रकाशनी PRESS RELEASE

भारतीय रिज़र्व बैंक
RESERVE BANK OF INDIA

वेबसाइट : www.rbi.org.in/hindi
Website : www.rbi.org.in
ई-मेल/email : helpdoc@rbi.org.in

आज़ादी का अमृत महोत्सव

संचार विभाग, केंद्रीय कार्यालय, एस.बी.एस. मार्ग, फोर्ट, मुंबई - 400 001
Department of Communication, Central Office, S.B.S. Marg, Fort, Mumbai - 400 001
फोन/Phone: 022 - 2266 0502

21 अक्तूबर 2022

बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत निदेश – दि कपोल को-ओपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र – अवधि बढ़ाना

दि कपोल को-ओपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र को भारतीय रिज़र्व बैंक के दिनांक 30 मार्च 2017 की निदेश सं. DCBS.CO.BSD-I./D-9/12.22.111/2016-17 के माध्यम से 30 मार्च 2017 की कारोबार की समाप्ति से छह माह की अवधि के लिए निदेशाधीन रखा गया था। इन निदेशों की वैधता अवधि को समय-समय पर बढ़ाया गया है और आखिरी बार इसे 31 अक्तूबर 2022 तक बढ़ाया था।

2. जन साधारण के सूचनार्थ एतद्वारा सूचित किया जाता है कि बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए की उप धारा (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक एतद्वारा निदेश देता है कि उपरोक्त निदेश 18 अक्तूबर 2022 के निदेश सं DOR.MON.D-36/12.22.111/2022-23 के अनुसार बैंक पर दिनांक 31 जनवरी 2023 तक लागू रहेंगे तथा ये निदेश समीक्षाधीन रहेंगे।

3. संदर्भाधीन निदेश की अन्य सभी नियम और शर्तें अपरिवर्तित रहेंगी। उपरोक्त वैधता को सूचित करने वाली दिनांक 18 अक्तूबर 2022 की निदेश की एक प्रति बैंक के परिसर में जनता के अवलोकनार्थ लगाई गई है।

4. भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा उपरोक्त वैधता बढ़ाने और/ या संशोधित करने का यह अर्थ न लगाया जाए कि भारतीय रिज़र्व बैंक, बैंक की वित्तीय स्थिति से संतुष्ट है।

(योगेश दयाल)
मुख्य महाप्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी: 2022-2023/1087